क्रमांक 19016/05/2025/केहिप्रसं/हिटपपा/1411-1510

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार प्रशिक्षण स्कंध
HINDI WORD PROCESSING/HINDI TYPING CORRESPONDECE TRAINING WING

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011.
2-A, Prithviraj road, New Delhi-110011.
दिनांक/Date : 26-11-2025

सेवा में

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)/
निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/प्रबंधक (राजभाषा)/
प्रशासनिक अधिकारी/केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/
उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

विषय:- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम - 71वां सत्र (2 फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 तक)।

महोदय/महोदया,

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम का 71वां सत्र 2 फरवरी, 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी :

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम	2 फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 तक	जुलाई, 2026 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। **अनिवार्य :** सभी अंग्रेजी टंककों/अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों, डाक विभाग में कार्यरत डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूर संचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर विभाग में कर सहायकों विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। 1. जिन कर्मचारियों के कार्यालय/कार्य स्थल उसी शहर में स्थापित हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण के नियमित/ अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों से 08 कि0मी0 अथवा इससे	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष या अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

			अधिक की दूरी पर स्थित हैं, उनकी आवागमन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी इस पाठ्यक्रम में नामित किया जा सकता है। 2. जिन कर्मचारियों को नियमित अथवा अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में सीमित सीटें होने के कारण अथवा अन्य कारणों से प्रवेश नहीं मिल पाता उन्हें भी इस पाठ्यक्रम में नामित किया जा सकता है। 3. वे आशुलिपिक जो केवल हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और जिन्हें उनके कार्यालयों द्वारा नियमित प्रशिक्षण के लिए छोड़ा जाना संभव नहीं है उन्हें हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में नामित किया जा सकता है। **<u>स्वैच्छिक :</u>** 1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, प्रवर श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों (अराजपत्रित) के लिए हिंदी शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। अत: <u>इन्हें हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।</u> ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि – वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है, किंतु वे प्रशिक्षण के उपरांत किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। टिप्पणी:- सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवानिवृत्ति प्रशिक्षण के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष या उससे कम है को प्रशिक्षण हेतु नामित न किया जाए।	

<u>वित्तीय प्रोत्साहन</u>

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण करने पर एवं केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। (का.ज्ञा. सं..-12014/2/76-रा.भा.(डी), दिनांक 02.09.1976 पैरा 1 (4))
- <u>हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पत्राचार द्वारा उत्तीर्ण करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं,</u> जिनका भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाता है। (का.ज्ञा. सं.-15/5/69-हिंदी (1), दिनांक 14.05.1969, का.ज्ञा. सं. 21034/66/2010- रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 29.07.2011 एवं का.ज्ञा. सं. 21034/25/2024-रा.भा.(प्रशि.), दिनांक 01.07.2025)

1.	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 6000/-
2.	95 % या इससे अधिक परंतु 97 % से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 4000/-
3.	90 % या इससे अधिक परंतु 95 % से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 2000/-

टिप्पणी :

- **जो प्रशिक्षार्थी पत्राचार/निजी प्रयत्नों से हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।**
  (दिनांक 29.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं0 21034/66/2010-रा0भा0(प्रशि.)
- **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 31.12.1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14020/2/77-रा.भा. (घ) के अनुसार इस पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों के लिए यह माना जाएगा कि वे अपना प्रशिक्षण निजी तौर पर ले रहे हैं। अतः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 01.07.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं0 21034/25/2024-रा0भा0 (प्रशि0) के अनुसार इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अन्य प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त ₹ 4000/- का एकमुश्त पुरस्कार भी देय होगा।**

परीक्षा शुल्क

- यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निशुल्क है, किंतु केंद्र सरकार के **निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों** आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान अनुलग्नक-ख पर उल्लिखित विधि के अनुसार **'उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना', नई दिल्ली (Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi)** को ऑनलाइन किया जाए तथा विवरण इस कार्यालय को भिजवाया जाए। (ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स के लिए अनुलग्नक "ख" देखें)

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के विवरण संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-क) में दिनांक **20 जनवरी, 2026 तक उप निदेशक/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011** को अवश्य भिजवा दें ।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित, टेलीफोन संख्या तथा अधिकारी/कर्मचारी का ई-मेल आई डी कैपीटल अक्षर में लिखे जाएं ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शायी जाए।
- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले नामों को अगले सत्र में प्रवेश के लिए पंजीकृत किया जाएगा, ऐसे कर्मचारियों के प्रवेश की सूचना संबंधित कार्यालयों को यथासमय दी जाएगी ।
- **सभी प्रशिक्षार्थियों को व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है। इसमें भाग लेने वाले अधिकारी/ कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है तथा इसमें अनुपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।**
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए।
- पंजीकृत प्रशिक्षार्थी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रशिक्षण किट्स (पाठ) का 1 घंटा अभ्यास अवश्य करें।
- निर्धारित अभ्यास को मूल्यांकन के लिए **उप निदेशक/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011** को भिजवाएं ।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है ।

विशेष टिप्पणी

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।

- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि प्रशिक्षण सत्र में कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, प्रवेशित कर्मचारी नियमित रूप से अभ्यास करें तथा अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सके।

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण एवं परीक्षा केवल "इनस्क्रिप्ट" की बोर्ड ले-आउट पर होगी, जो कि भारत सरकार का मानक की-बोर्ड है।
- किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय कृपया हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी अपना ई-मेल व मोबाइल नंबर अवश्य सूचित करें, जिससे यथा आवश्यक संपर्क करने में सुविधा हो।

भवदीय,

(ले0 कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

संपर्क करने का पता:- **(मध्योत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र)** **(दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचोरी एवं लक्षद्वीप)** **श्री बिभूति शरण सिन्हा,** **सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)** **हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण पत्राचार स्कंध** **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,** **2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011** **दूरभाष संख्या - 011-20843031** **मोबाइल नं. 09319131972** **ई मेल : chti1053@nic.in**	**(पश्चिम एवं पूर्व-पूर्वोत्तर क्षेत्र)** **(गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, दादर नागर हवेली, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, मणीपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश)** **श्री विश्वजीत कुमार,** **सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)** **हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार स्कंध** **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,** **2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011** **दूरभाष संख्या - 011-20843031** **मोबाइल नं. 07569971249** **ई मेल : chti1074-dol@gov.in**

पृष्ठांकन सं0 19016/5/2025-केहिप्रसं/हिटपपा/1411-1510 दिनांक - 26-11-2025

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव, राजभाषा विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के निजी सचिव, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन,नई दिल्ली-110001.
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, पॉकेट-9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124.
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110001.
5. भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
6. केंद्रीय सतर्कता आयोग, ब्लॉक-ए, सतर्कता भवन, आई. एन. ए., नई दिल्ली-110023.
7. कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या-12, सी.जी.ओ. कॉम्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
8. राज्य सभा सचिवालय, कमरा संख्या-629, टैरेस फ्लोर, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली-110001.
9. लोक सभा सचिवालय, कंप्यूटर प्रबंधन शाखा, (सॉफ्टवेयर यूनिट), संसद पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली-110001.
10. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066.
11. केंद्रीय हिंदी संस्थान, एनआरपीसी कॉलोनी, ब्लॉक बी, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016.
12. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली-110011.
13. निदेशक (नीति एवं समन्वय), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
14. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
15. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
16. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
17. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
18. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003
19. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
20. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
21. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी तथा गाजियाबाद।
22. उप निदेशक/सहायक निदेशक (भाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र), नईदिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै/सिकंदराबाद तथा नवी मुंबई।
23. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर, पूर्व-पूर्वोत्तर एवं दक्षिण-पश्चिम), नई दिल्ली/कोलकाता/नवी मुंबई।
24. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) एवं कार्यालयाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
25. प्रभारी सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), गहन प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2ए, पृथ्वीराज रोज, नई दिल्ली।
26. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वेबसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि परिपत्र को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
27. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बेंगलुरु/ सिकंदराबाद एवं नवी मुंबई।
28. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
29. सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

रामनरेश

(ले. क. रामनरेश शर्मा)

निदेशक

शुल्क संबंधी जानकारी

विकल्प - I

RTGS/NEFT के लिए आवश्यक विवरणः-

बैंक का नाम	-	भारतीय स्टेट बैंक, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
खाता संख्या	-	351448065018
ब्रांच कोड	-	00625
IFSC	-	SBIN0000625

विकल्प - II

ANNEXURE 'B'

Steps to Pay Fee Online

स्टेप-1

↓

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट **www.onlinesbi.com** ओपन करें, फिर **STATE BANK COLLECT** उप-शीर्षक पर जाएँ।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट **www.onlinesbi.com** के मुख्य शीर्षक **STATE BANK OF INDIA** पर क्लिक करें, फिर **STATE BANK COLLECT** नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

स्टेप-2

↓

STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में **ALL INDIA** का चयन करें, उसके बाद **TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION** में **GOVERNMENT DEPARTMENT** चुनें एवं **GO** पर क्लिक करें।

स्टेप-3

↓

GOVTERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले कॉलम के पुल-डाउन मेन्यू से **HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** का चयन करें।

स्टेप-4

↓

SELECT PAYMENT CATEGORY में **HINDI TEACHING SCHEME** को चुनें, अब एक फार्म खुल जाएगा।

स्टेप-5

↓

फार्म को भरने के बाद SUBMIT करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को CONFIRM करके PAYMENT करें।

स्टेप-6

↓

PAYMENT करने के बाद RECEIPT के प्रिंट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।

अनुलग्नक-'क'

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण पत्राचार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

सत्र 2 फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 तक

क्र.सं.	प्रशिक्षार्थी का विवरण (हिंदी में)	Details of Scholars (In English Capital Letters)
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम :	Name of Trainee:
2.	लिंग (स्त्री/पुरुष) :	Gender (F/M)
3.	माता/पिता/पति का नाम :	Name of Mother/Father/Husband's:
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम :	Designation:
5.	मातृभाषा :	Mother tongue:
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर : स्नातकोत्तर/ स्नातक/ इंटरमीडिएट / दसवीं / आठवीं / प्रबोध / प्रवीण / प्राज्ञ	Knowledge of Hindi: Post Graduate / Graduate / Intermediate/ Tenth/ Prabodh /Praveen / Pragya
7.	मंत्रालय :	Name of Ministry:
8.	विभाग का नाम :	Name of Department:
9.	कार्यालय का पूरा पता :	Full Office Address:
10.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल सं. ईमेल:	Name, Designation, Mobile No. & Email of the Nominating Officer:
11.	प्रशिक्षार्थी का मो.सं. (व्हाट्सऐप नं.) एवं ईमेल आईडी :	Mobile No. (WhatsApp No.) & Email ID of Trainee: Capital Letter
12.	परीक्षा शुल्क विवरण:	Exam Fee Details: Amount Draft No. & Date Name of Branch Or Online details:

घोषणा:-

1. मैंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
2. प्रशिक्षण के दौरान मेरे लंबी छुट्टी पर जाने की कोई संभावना नहीं है। अपरिहार्य परिस्थिति में छुट्टी जाने की स्थिति में मैं अभ्यास की कमी को विशेष प्रयत्नों द्वारा पूरा करूंगा/करूंगी।

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

नामित करने वाले अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)